उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवाँ संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा;

(2) यह दिनांक 14 नवम्बर, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेष निजी विष्वविद्यालय अधिनियम, 2019, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में, धारा 2 के खण्ड (कक) में उप खण्ड (तीन) के पष्चात निम्नलिखित उप खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

(चार) अन्य राज्यों के अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी अथवा सार्वजनिक न्यास अथवा किसी कम्पनी से है;

धारा 7 (क) का संषोधन

3—मूल अधिनियम में, धारा 7 (क) में, अंत में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :

''परन्तु यह कि विष्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेषी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई करते हुए विदेषी उच्चतर शैक्षणिक संस्था, राज्य में 'परिसर' स्थापित कर सकेगी। विदेषी उच्चतर शैक्षणिक संस्था द्वारा ऊपर उल्लिखित विनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जायेगा।''

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

4—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा बनाये गये उपबंधों के सम्बन्ध में, गजट में प्रकाषित आदेष द्वारा किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेष दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबंध ऐसी अवधि के दौरान जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन, चाहे वे उपांतरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवष्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पष्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीनकृत प्रत्येक आदेष, उसके दिये जाने के पष्चात् यथाषक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

5—(1) उत्तर प्रदेश निजी विष्वविद्यालय (नौवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह-प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उच्च षिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेष राज्य में नये निजी विष्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विष्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेष निजी विष्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

भारत में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो अन्य राज्यों के विभिन्न अधिनियमों के अधीन सोसाइटी/न्यास/कम्पनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं और षिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य षैक्षणिक संस्थाएं चलाती हैं। राज्य के जनसाधारण को ऐसी संस्थाओं की शैक्षणिक उपलब्धियों की प्रसुविधा प्रदान किये जाने की आवष्यकता है।

विष्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेषी उच्चतर षिक्षण संस्थाओं के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 देष में विदेषी उच्चतर षिक्षण संस्थाओं द्वारा परिसर की स्थापना करने का उपबंध करता है। राज्य में भी विदेषी उच्च्तर षिक्षण संस्थाओं को परिसर स्थापित करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने की आवष्यकता है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत ऐसी संस्थायें जो राज्य में निजी विष्वविद्यालय स्थापित करने का अवसर प्रदान करने हेतु सोसाइटी/न्यास/कम्पनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं और राज्य में विदेषी उच्चतर षिक्षण संस्थाओं का परिसर स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 और धारा 7 (क) में संषोधन करने का विनिष्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 नवम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश निजी विष्वविद्यालय (नौवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वाक्त अध्यादेष को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री,
उच्च षिक्षा।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 113 सा0 विधायी–16–12–2024–(970)–1000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।